

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट)**

पीठासीन अधिकारी :- नीता वसीटा (R.A.S.)

मीमा वसीटा वरिष्ठ पत्नी श्री आवान लाल माली नि. ३५० उनवान मीमा पु. ३५० बनाम मीमा पु. ३५०

दावा बाबत :- ५३ २५५
मुकदमा नम्बर :- २३१/२०१५
निर्णय दिनांक :- १०/११/२०२१

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख १०/११/२०२१ को **नीता वसीटा** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, **राशमी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा ३५० ए ३५० राशमी - ए त. ६० २१३५० की विवादित भूखेतीगत भूखेती ३५० ए ३५० ३००३ में शकल ०.१८६९ है किन्तु चाही २ बाग ५.५५ का पैनी वरिष्ठ पत्नी आवान माली सा. ३५० दे. ३५० ए ३००३ में से शकल ०.२५९३ है किन्तु चाही खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख १०/११/२०२१ को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



नीता वसीटा
(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
	जोड		जोड



* लॉगन नं. 16 रूपमा, का भीमा, मानीराम, हीरा लाल पुन
 गणेश, देउ पत्नी गणेश गाडरी श्याम देउ इकादि,
 आंक 3003 मे ले रकबा 0.0930 हेर किम्म चही
 2. बी.।, लॉगन 2.38 रूपमा का शजी बाई पत्नी भी
 भीमराज गाडरी श्याम देउ श्यलवार शाश्वत कार धोकि
 किया जात है, नहुनवार जमाबंदी मे अंकन किया जाकर
 पृथक-पृथक रूपमे काम किया जाकर लॉगन फाटनी
 भला-भला की जावे। रहन बरहूर रख जावे।

(नीता वसीटा)
 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी

2. मानीराम पुन गणेश गाडरी निर अरनी
3. हीरा लाल पुन गणेश गाडरी निर अरनी
4. देउ पत्नी गणेश गाडरी निर अरनी
5. शजी बाई पत्नी भीमराज गाडरी निर अरनी
6. नधनीलवार राशमी।
7. बडीरा शाकापन गणेश बाक शाका राशमी

(सहित मदि)
 उपखण्ड
 (सहायक कलेक्टर)
 राशमी

(नीता वसीटा)
 सहायक कलेक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)
 राशमी